21.08.21 पत्रावली पेश हुई। जिस पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप लगाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उनकी दिनांक 31.08.2021 को सेवानिवृत्ति हो रही है। ऐसी स्थिति में 5 दिन के लिये पत्रावली को अन्य किसी न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना उचित नहीं है। पत्रावलियों में नियमित सुनवाई होना आवश्यक है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को वापिस भिजवाया जाना उचित है। ताकि नवीन पदस्थापित होने वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकरण की पत्रावलियों में नियमित सुनवाई की जा सके।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उभय पक्षकारान दिनांक 01.09.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती में उपस्थित हों।

जिला कलक्टर
करौली